बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1896 (श0)

सं0 पटना 754 पटना मंगलवार 23 जुलाई 1974

विधि विभाग

अधिसूचना

24 जुलाई 1974

सं0 एल0जी0.04.45/72 जेज–832 बिहार विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिसपर राष्ट्रपति 23 जुलाई 1974 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार गजट : असाधारण : 23 जुलाई 1974

बिहार अधिनियम 16, 1974

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974

औद्योगिक क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - ।

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार -

(1) यह अधिनियम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा ।

2. परिभाषाएँ - जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ---

(क) सुख-सुविधा के अन्तर्गत सड़क, जल आपूर्त्ति, बाजार- सड़कों पर प्रकाश, जल निकास, मल प्रणाली, विद्यालय, आवास, अस्पताल और मनोरंजन की सुविधाएँ तथा अन्य ऐसी सहुलियतें और सुविधाएँ हैं, जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख-सुविधा विनिर्दिष्ट करें :

(ख) भवन के अन्तर्गत कोई ऐसी संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का कोई ऐसा भाग है जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यक या अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए आशयित हो चाहे वस्तुत: उसका उपयोग होता हो या नहीं :

(ग) व्याकरणिक रूप भेदों सहित 'विकास' से अभिप्रेत है, भूमि के अन्दर, भूमि पर, भूमि से उपर या उसके नीचे, निर्माण या इंजीनियरिंग संबंधी अथवा अन्य कोई कार्य निष्पादित करना या किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्त्तन करना, जिसके अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनों अथवा अन्य कार्यकलापों के लिए स्थान सहित या रहित और लोक निर्माण, मनोरंजन, सुख-सुविधाओं तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य मूल अपेक्षाओं की सभी समुचित सुविधाओं के साथ औद्योगिक कार्यकलाप चलाने के लिए स्थान का उपबंध करना है । और इसके अन्तर्गत पुर्नविकास भी है :

(घ) उद्योग शब्द का वही अर्थ होगा जो अर्थ बिहार उद्योग राज्य सहायय् अधिनियम, 1956 की धारा-2 के खंड (3) में उसके लिए दिया गया है :

(ड) विकास क्षेत्र से अभिप्रेत है धारा-4 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया कोई क्षेत्र :

(च) औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत है, ऐसा कोई क्षेत्र, जिसके लिए धारा-3 के अधीन प्राधिकार गठित किया गया है :

(छ) विनियम से अभिप्रेत है, धारा-3 के अधीन गठित प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन, बनाया गया विनियम :

(ज) नियम से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम : और

(झ) विहित से अभिप्रेत है : इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित ।

अध्याय -2

3. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार - लक्ष्य और उद्‌देश्य-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने के निमित्त किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकार गठित कर सकेगी (इस अधिनियम में इसके आगे प्राधिकार के रूप में निर्दिष्ट)

स्पष्टीकरण - राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन, इस राज्य के एक या अधिक क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकार या एक से अधिक प्राधिकार स्थापित कर सकेगी । ऐसा प्राधिकार '(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार' के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) प्राधिकार पूर्वोक्त नाम से एक निगम निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर होगी तथा उसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और उनका निपटारा करने तथा ठेका करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

(3) (प) ऐसे किसी प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक तथा पाँच अन्य निदेशक होगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त इस निमित्त विहित निबंधनों और शर्त्तें पर अपना पद धारण करेंगे ।

(पप) प्राधिकार के अध्यक्ष आयुक्त से अन्यून पंक्ति के सरकारी सेवक या सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति होगे ।

(पपप) राज्य सरकार, यदि ऐसा समीचीन हो तो, एक ही व्यक्ति को प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(4) प्रबंध निदेशक प्राधिकार का पूर्णकालिक पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक होगा तथा अध्यक्ष के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :-

(क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा :

(ख) वह प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चो को पूरा करने के लिए धन निकालेगा :

(ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा :

(घ) वह किसी भी अन्य ऐसे कर्त्तव्य का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय ।

4. किसी क्षेत्र का विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना -

(1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली में विहित रीति से उठायी जानेवाली किसी आपत्ति पर विचार करने के बाद इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी औद्योगिक क्षेत्र के निकटवर्ती किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी :

परन्तु बिहार भूमि उपभोग निबंधन अधिनियम,1948 की धारा 3 की उप धारा-(1) के अधीन पहले ही नियंत्रित क्षेत्र घोषित किये गये किसी क्षेत्र के सम्बंध में आपत्ति आमंत्रित करना आवश्यक नहीं है ।

(2) इस अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कम्पनी या व्यापारिक घराना या कोई निकाय (राज्य सरकार के किसी विभाग सहित) विहित नियमावली में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी संरचना या भवन के निर्माण, परिवर्त्तन अथवा उसे ढहाने का काम न हाथ में लेगा या न कार्यान्वित करेगा ।

(3) जब तक नियमावली में अन्यथा अनुबद्ध न हो तब तक किसी पहुँच साधन का निर्माण करने, खोदने या उसका खाका तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने और ऐसी अनुज्ञा देने या न देने की प्रक्रिया इस निमित्त बिहार भूमि- उपयोग निबंधन अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार ही होगी ।

5. स्थापना- प्राधिकार की अपनी स्थापना होगी, जिसके लिए वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाएगा ।

अध्याय-3

प्राधिकार की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

6. प्राधिकार की सामान्य शक्तियाँ और कर्त्तव्य -

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकार, औद्योगिक क्षेत्र के सुनियोजित विकास (इस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने सहित) और उस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने और उससे अनुषंगिक सुख-सुविधाओं के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र तथा उसकी सुख-सुविधाओं के आयोजन विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन, पट्टा- निष्पादन और ऐसा आवंटन, पट्टा रद्द करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने और उससे संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर, प्राधिकार को कोई ऐसा अन्य कार्य सौंप सकेगी जो औद्योगिक क्षेत्र और उसकी सुख-सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास या अनुरक्षण तथा उससे संबंधित बातों से संबद्ध हो ।

(4) प्राधिकार के विकास क्षेत्र की सड़कों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पत्ति पर हुए अधिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ बिहार, उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ होंगी ।

(5) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, आवास और विद्यालय जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण, अधिक्रमण हटाने, आदि के लिए, प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक में अन्य अधिनियमों के अधीन ऐसी शक्तियाँ निहित कर सकेगी, जिनका इस ंसबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकार या कानूनी निकाय अथवा राज्य एजेन्सी प्रयोग कर सकती हो ।

(6) यदि प्राधिकार की राय में, उसके द्वारा किसी विकास क्षेत्र में निष्पादित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप, विकास से लाभान्वित क्षेत्र की किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया हो, तो प्राधिकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सम्पत्ति के स्वामियों या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति पर विकास कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए, सुधार प्रभार लगा सकेगा :

परन्तु राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधिकृत भूमि पर कोई सुधार प्रभार नहीं लगाया जाएगा ।

(7) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति के सबंध में सुधार प्रभार वह रकम होगा जो विकास-स्कीम का निष्पादन होने से पूर्व सम्पत्ति को भवन सहित मानकर प्राक्कलित मूल्य से विकास स्कीम का निष्पादन पूरा हो जाने पर उसी रीति से प्राक्कलित सम्पत्ति का मूल्य जितना अधिक होता हो उसके एक-तिहाई के बराबर हो।

(8) प्राधिकार, राज्य सरकार से प्राप्त होनेवाले अनुदान, अग्रिम या अर्थ सहायय् के अतिरिक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य श्रोतों से भी उधार ले सकेगा ।

7. वित्तीय शक्तियाँ -

(1) प्राधिकार की अपनी निधि होगी, जिसका वह अनुरक्षण करेगा और जिसमें निम्नलिखित रकमें जमा की जाएँगी :-

(क) प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन,

(ख) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सारी फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्मानि,

(ग) प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन,

(घ) प्राधिकार द्वारा वित्तीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किये गये ऋण-पत्रों (डिवेंचर) से प्राप्त सभी धन ।

(2) जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश दें, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी धन इसकी निधि में जमा किये जाएँगे जो (निधि) स्टेट बैंक आफ इंडिया और या एक अथवा अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास रखी रहेगी और उसमें से निकासी जब और जैसे प्राधिकार को अपेक्षित होगी, की जाएगी ।

8. बजट-

(1) प्राधिकार हरेक वर्ष ठीक अगले वित्त वर्ष के लिए एक बजट पारित करेगा, जिसमें प्राधिकार के प्राक्कलित आमद खर्च दिखाये रहेंगे, और उतनी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और राज्य सरकार ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समीचीन समझें जाएँ ।

(2) प्राधिकार समुचित लेखा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और तुलना-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरणी तैयार करेगा ।

(3) प्राधिकार का लेखा प्रतिवर्ष महालेखापाल, बिहार द्वारा संपरीक्षित और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में इसके द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकार द्वारा महालेखापाल, बिहार को देय होगा । महालेखापाल को प्राधिकार के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में वे सभी विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जिनका वह, सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में हकदार है ।

(4) महालेखापाल, बिहार या इसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकार का लेखा संपरीक्षा रिर्पोट सहित प्रतिवर्ष राज्य सरकार को एक वार्षिक रिर्पोट के साथ अग्रसारित किया जाएगा ।

अध्याय-4

प्रकीर्ण-उपबंध

9. (1) राज्य सरकार प्राधिकार के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किसी भूमि का अर्जन कर सकेगी जो प्रयोजन, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन लोक प्रयोजन समझा जाएगा ।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार, विकास या उपयोग के प्रयोजनार्थ, बिहार राज्य में निहित कोई विकसित या अविकसित भूमि प्राधिकार को सरकार द्वारा यथा विनिश्चित निबंधनों और शर्त्तो पर पट्टा विलेख द्वारा अंतरित कर सकेगी ।

(3) यदि उपधारा-(2) के अधीन प्राधिकार के जिम्मे इस प्रकार दी गई कोई भूमि किसी समय राज्य सरकार के लिए अपेक्षित हो तो प्राधिकार इसे राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर देगा ।

10. प्राधिकार का हरेक निदेशक तथा हरेक पदाधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

11. फीस, लगान या प्रभार मद्दे, अथवा भूमि, भवन या अन्य चल और अचल सम्पत्ति के निपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के रूप में प्राधिकार को देय कोई धन प्राधिकार द्वारा बिहार लोक माँग वूसली अधिनियम (पब्लिक डिमांडस रिकवरी ऐक्ट) 1914 के अधीन भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

12. शक्ति-

(1) कोई व्यक्ति जो संरचना या अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्राधिकार के द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी विनियम का उल्लंघन करके भूमि या भवन का उपयोग करें वह 10,000 रू0 तक के जुर्माने से या छः महीने तक के सादा कारावास से या दोनों से और अपराध जारी रहने की दशा में उल्लंघन के हर दिन के लिए 100/- रू0 तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अभियोग के संबंध में वसूल किये गये सभी जुर्माने प्राधिकार को चुकाए जाएँगे ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से अन्यून पंक्ति का कोई न्यायालय नहीं करेगा ।

13. यथापूर्वोक्त के सिवाय, इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के उपबंध, राज्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतविर्ष्ट किसी असंगत बात के होने पर भी, प्रभावी होगें ।

14. राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और विशेष कर निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी :-

(क) प्राधिकार की भूमि पर हुए अधिक्रमण को हटाना :

(ख) अप्राधिकृत संरचनाओं को हटाना :

(ग) ऐसे भवनों को गिराना, जिनसे योजना में बाधा पड़ती हो या जो प्राधिकार के विनियमों का उल्लंघन करते हुए खड़े किये गये हों :

(घ) प्राधिकार के कर्त्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विषयों पर प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार की रिर्पोटों और विवरणियों का उपस्थापन और

(ड) राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों का जारी किया जाना, जिनमें इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक सिद्धान्त अधिकथित हों ।

15. प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में संकल्प प्रकाशित कर इस अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

16. किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसके द्वारा जारी किये गये ऐसे कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये किसी नियम या विनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक किया गया हो या लिए जाने के लिए आशयित हो ।

17. जब राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि जिस प्रयोजन के निमित्त इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार की स्थापना हुई थी, वह पर्याप्त रूप से पूरा हो चुका है, जिससे प्राधिकार का बना रहना अनावश्यक हो चला है, तब, सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि प्राधिकार अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से विघटित हो जाएगा और तद्‌नुसार प्राधिकार उक्त तारीख से विघटित समझा जाएगा : और प्राधिकार की सम्पत्तियाँ, निधि और उसके द्वारा वसूलनीय सभी पावने उसके दायित्वों के साथ राज्य सरकार पर न्यायम हो जाएँगे।

18. निरसन और व्यावृत्ति :

(1) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वितीय अध्यादेश, 1974 (बिहार अध्यादेश सं0 80,1974) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

कृष्णदेव प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या- 1974 पटना, दिनांक 2/2/1982

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम 16, 1974) की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम - यह नियमावली बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली, 1981 कहलायेगी ।

2. परिभाषा - जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में :-

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974(बिहार अधिनियम 16,1974)।
(ख) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।
(ग) 'फारम' से अभिप्रेत है इस नियमावली की अनुसूची का फारम ।
(घ) अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये है ।

3. प्राधिकार के प्रबंध निदेशकों को अधिनियम की धारा-3 की उपधारा 4 के खंड (घ) के अधीन सरकार/ प्राधिकार द्वारा कर्त्तव्यों का सौंपा जाना । प्रबंध निदेशकों को सरकार/प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कर्त्तव्यों को सौंपा जाता है :-

1. भू-खंडों के आवंटन एवं विखंडन की शक्ति :
2. एक लाख रूपये तक के प्लांट तथा मशीनरी की खरीदगी :
3. पचास हजार रूपये तक के स्थिर आस्ति पर खर्च की मंजूरी :
4. एक लाख रूपये तक की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।

4. अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन विकास क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध आपत्ति :

(1) अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के कम से कम दो महीने पहले, राज्य सरकार, शासकीय गजट में और बिहार में प्रकाशत कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायेगी । जिसमें अधिकथित

रहेगी कि ऐसी घोषणा करने का प्रस्ताव है और उसमें उस भूमि या उन भूमियों की सीमायें विनिर्दिष्ट रहेगी जिसके, या जिनके संबंध में घोषणा करने का प्रस्ताव है तथा संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं संबंधित औद्योगिक प्राधिकार ऐसी अधिसूचना या उसके सारांश की प्रतियाँ ऐसी रीति से जो वह उचित समझें अपने कार्यालय में और अपनी अधिकारिता के ऐसे अन्य स्थानों पर जो उनकी राय में प्रस्तावित घोषणा से हितबद्ध या हितबद्ध हो सकने वाले, व्यक्तियों को पर्याप्त सूचना देने के लिए उपयुक्त हो, प्रकाशित करेगी । इस अधिकारिता के अन्तर्गत वह इलाका भी है, जिसमें उक्त भूमि या भूमियाँ पड़ती हैं ।

(2) उक्त सीमाओं में शामिल किसी भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति इस नियम के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अंतिम तारीख से तीस दिन बीतने के

पहले किसी भी समय घोषणा किये जाने या उक्त सीमाओं के भीतर अपनी भूमि या उसके भाग के शामिल किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा ।

(3) इस नियम के उप नियम (2) के अधीन हरेक आपत्ति जिला दंडाधिकारी के पास लिखित रूप में दी जाएगी और जिला दंडाधिकारी आपत्ति करने वाले हरेक व्यक्ति को या तो स्वयं या अधिवक्ता के मारफत अपनी सुनवाई कराने का अवसर देगा और ऐसी अतिरिक्त जाँच करने के बाद जो वह आवश्यक समझें आपत्ति फाईल की जाने की तीस दिनों के भीतर उस पर अपनी सिफारिश देते हुए राज्य सरकार को एक रिर्पोट भेजेगा।

(4) राज्य सरकार इस नियम के उपनियम (3) के अधीन जिला दंडाधिकारी की रिर्पोट विचार करने और प्राधिकार का विचार प्राप्त कर लेने के बाद या तो अधिनियम की धारा-4 की उपधारा(1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव छोड़ देगी या इस नियम के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर पड़ने वाली सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग या भागों के संबंध में घोषणा कर सकेगी ।

(5) यदि इस नियम के उप नियम (2) द्वारा निहित समय बीतने के पहले कोई आपत्ति नहीं की गई तो जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार को उस आशय की रिर्पोट तुरंत भेज देगा, और अब राज्य सरकार अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा कराने की तुरंत कार्यवाही कर सकेगी ।

5. अधिनियम की धारा 4 (2) के अधीन विकास क्षेत्रों की किसी संरचना या भवन का निर्माण या परिवर्त्तन करने अथवा उसे तोड़ डालने के लिए प्राधिकार का अनुमोदन -

(1) प्राधिकार से अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक हरेक व्यक्ति इस नियमावली से उपरबद्ध फारम में प्राधिकार को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ इंजीनियरिंग की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले किसी इंजीनियर द्वारा तैयार उस निर्माण को जिसे तोड़ना हो, स्थल रेखा का (ग्राउड) (प्लान) उत्पादन और अवस्थित तथा विनिर्देश भी दिये रहेंगे ।

(2) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकार ऐसी पूछताछ के बाद, जो वह आवश्यक समझें, लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्त्तों और उपान्तरणों के अध्यधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो अनुमोदन देगा या देने से इनकार कर देगा ।

(3) प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्तर्गत अपील राज्य सरकार के पास हो सकती है और ऐसी अपील में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा ।

6. अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (2) के अधीन भूमि आवंटन पट्टा रद्द करने, फीस लगाने, दंड सूद लेने, किश्त जब्त करने का प्राधिकार का अधिकार -

(1) उद्यमियों द्वारा निर्धारित समय पर भूमि के मूल्य के किस्तों को नहीं देने या किस्तों को नहीं देने पर दंड स्वरूप दंड सूद वसूल करने का अधिकार प्राधिकार या प्रबंध निदेशक को होगा :

(2) उद्यमियों के द्वारा निर्धारित समय पर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने या उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाने पर प्राधिकार या प्रबंध निदेशक भूखंडों का विखंडन ही सिर्फ न करके उनके द्वारा जमा किये गये किस्तों को भी जब्त कर सकता है ।

7. अधिनियम की धारा-8 के अधीन प्राधिकार के वार्षिक बजट का उपस्थापन -

(1) आगामी वित्त वर्ष के लिए प्राधिकार का वार्षिक बजट तैयार किया जाएगा और निर्माण के आजमाईशी कार्यक्रम सेवाओं के लिए उपबंध तथा अन्य क्रिया कलापों के साथ तीन प्रतियों में राज्य सरकार के पास प्रति वर्ष 15 अक्टूबर तक उपस्थापित किया जाएगा ।

(2) प्राधिकार के आय व्ययक का प्राक्कलन यथासंभव प्राधिकार के आय के यथार्थ मूल्यांकन जिसमें अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ऐसे अनुदान, कर्जे, अग्रिम आदि भी शामिल है, जिन्हें राज्य सरकार ने आगामी वर्ष प्राधिकार को देने का संकेत किया हो तथा अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (4) के खंड 'क' तथा 'ख' एवं धारा-6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को सौंपे गये कार्य को पूरा करने हेतु खर्च सन्निहित हो, पर निर्भर करेगा ।

(3) कोई खर्च जिसका बजट में उपबंध नहीं हो या जो अधिनियम की धारा-8 की उपधारा-(1) के अधीन जारी किये गये राज्य सरकार के निदेश के विरूद्ध हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(4) राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा समर्पित बजट में अधिनियम की धारा-8(1) के उपबंधों के अन्तर्गत निदेश दश्कर संशोधित कर सकती है ।

(5) प्राधिकार एक वृहत लेखा शीर्षक से दूसरे में या किसी वृहत लेखा शीर्षक के भीतर का पुर्नविनियोग मंजूर कर सकेगा । परन्तु राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना ऐसी नई स्कीमों पर खर्च के लिए निधियों का पुर्नविनियोग नहीं किया जाएगा जो बजट में शामिल नहीं की गई हो ।

8. अधिनियम की धारा-5 के अधीन प्राधिकार की स्थापना- प्राधिकार 840 रू0 और उसके उपर अधिकतम मासिक वेतन वाले पदों का सृजन उनपर नियुक्ति तथा प्रोन्नति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा ।

9. अधिनियम की धारा-14 (घ) के अधीन प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार की रिर्पोट और विवरण का उपस्थापन-

(1) प्राधिकार प्रतिवर्ष 30 जून के अंत तक राज्य सरकार द्वारा विहित किये जानेवाले फारम में उसे रिर्पोट वर्ष के दौरान अपने कर्त्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के संबंध में एक वार्षिक रिर्पोट उपस्थापित करेगा । रिर्पोट में वस्तुगत लक्ष्यों की उपलब्धि और अनुभूत कठिनाईयों को वर्णनात्मक विवरण भी दिया रहेगा ।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकार के कार्यो की विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में रिर्पोट माँग सकेगी और प्राधिकार नियमित समय के भीतर ऐसी रिर्पोट पेश करेगा ।

10. अधिनियम की धारा- 14(ड) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशन- सरकार समय समय पर अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सिद्धान्त अधिकथित करते हुए प्राधिकार को खास तौर से निम्नलिखित संबंध में निदेशन जारी कर सकेगी :-

(क) प्राधिकार द्वारा हाथ में लिये जाने वाले विकास कार्य का स्वरूप :

(ख) हाथ में लिये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यो की प्राथमिकता :

(ग) उस क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटों को दी जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और उनके लिए प्रभार फीस:

(घ) प्राधिकार द्वारा किये जाने वाले ऐसे नगरपालिका और अन्य कृत्यों का स्वरूप और सीमा जो राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकृत करें :

(ड) भूमि के मूल्य निर्धारण, भू-आवंटन, किस्तों की वसूली आदि विषयों से संबंधित नीति निर्धारण:

11. औद्योगिक प्राधिकार को सलाह देने के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन :-
प्राधिकार अपनी स्कीमों के आयोजन और निरूपण संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में परामर्श देने तथा स्कीमों के कार्यान्वयन में मदद लेने के लिए समितियाँ नियुक्त कर सकेगा ।

12. अधिनियम की धारा-14(क), (ख) और (ग) के अधीन अधिक्रमण और अप्राधिकृत संरचनाओं का हटाया जाना तथा भवनों का गिराया जाना -

प्राधिकार या प्रबंध निदेशक प्राधिकार की भूमि पर अधिक्रमण के हटाये जाने तथा अप्राधिकृत भवनों और संरचनाओं के गिराये जाने के संबंध में तत्समय बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम या

किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन शक्तियाँ मिलने पर मामलों के निपटारे से संबद्ध अधिनियमों और उनके अधीन बताये गये नियमों के उपबंधों से मार्गदर्शन करेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-हरि शंकर सिंहा
विशेष सचिव, बिहार

ज्ञापांक 1974 /पटना, दिनांक 2.2.1982/
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना-7 को अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति के साथ बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । साथ ही यह भी अनुरोध है कि हिन्दी और अंग्रेजी अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ अलग-अलग कृपया छापकर भेजने की कृपा की जाय ।

ह0/-हरि शंकर सिन्हा
विशेष सचिव, बिहार

ज्ञापांक 1974 /पटना, दिनांक 2.2.1982
प्रतिलिपि- सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-हरि शंकर सिन्हा
विशेष सचिव, बिहार

ज्ञापांक- 1974 /पटना, दिनांक 2.2.1982
प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-हरि शंकर सिन्हा
विशेष सचिव, बिहार